न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– सुप्रिया, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 544 / 2024 — निर्णय दिनांक : 17.06.2025

अमरसिंह बनाम ओमप्रकाश वगै0

1. अमरसिंह पुत्र दयानन्द
2. राम कुवार पुत्र जोधा

समस्त जाति जाट निवासीगण टीटनवाड़ तहसील गुढागोड़जी जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जोधा
2. बीरबल पुत्र जोधा
3. रामजीलाल पुत्र जोधा
4. रामसिंह पुत्र जोधा
5. अशोक कुमार दत्तक पुत्र गोवर्धन
6. ताराचन्द पुत्र जीता
7. रामस्वरूप पुत्र जीता
8. सरदारसिंह पुत्र जीता
9. निकान्त पुत्र रमेश कुमार
10. मनोहरी देवी पत्नी रमेश कुमार
11. स्वाति पुत्री रमेश कुमार
12. मुकेश कुमार पुत्र सुल्तानराम
13. संजीव कुमार पुत्र सुल्तानराम
14. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सुल्तानराम
15. रूकमणी देवी पत्नि सुल्तानराम
16. मनभरी देवी पत्नि फुलचन्द
17. महेन्द्रसिंह पुत्र फुलचन्द
18. सुरेश कुमार पुत्र फुलचन्द
19. सुशीला पत्नी फुलचन्द
20. सहीराम पुत्र भूरा
21. बनवारी लाल ढाका पुत्र कुरड़ाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण टीटनवाड़ तहसील गुढ़ागोड़जी जिला झुन्झुनूं (राज0)

22. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा टीटनवाड़
23. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा टोडी
24. यूको बैंक शाखा गुढागोड़जी
25. राजस्थान सरकार द्वारा लैण्ड होल्डर तहसीलदार गुढागोड़जी जिला झुन्झुनूं (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन भूमि एवं लगान एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से वादपत्र निम्न आशय का पेश किया गया :– ग्राम टीटनवाड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1112 रकबा 1.98 हैक्टर अवस्थित है उपरोक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 20 की सह खातेदारी भूमि है उक्त भूमि विवादित भूमि है जिसे आगे दावे में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। भूमि वर्णित धारा 1 वादपत्र का अभी तक विधिवत विभाजन किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं हुआ है मौके पर अपने अपने हिस्सेनुसार अंदाज से भूमि काश्त

सहायक कलक्टर झुंझुनूं (राज.)

करते है भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने से भूमि का अपनी इच्छानुसार विकास करने में असमर्थ है। इसलिए विभाजन करवाया जाना आवश्यक है। इसलिए दावा विभाजन का प्रस्तुत है । प्रतिवादीगण आए दिन भूमि की लाट बाट काश्त व सीमाओ बाबत विवाद करते है मौके पर वादीगण इच्छानुसार भूमि का उपयोग उपभोग परिवर्तन करने में असमर्थ होने तथा मौके पर सह खातेदारो के मध्य आपस में विवाद होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है। विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 ने निश्चित भू भाग का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 21 के पक्ष में कराया है जिसका नामान्तकरण प्रक्रियाधीन है इसलिए प्रतिवादी संख्या 21 को आवश्यक पक्षकार की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है तथा वादीगण ने दिनांक 9—7—2023 को भूमि का विधिवत विभाजन कराने के पश्चात भूमि विकय करने रिकार्ड कायम करवाने हेतु कहने पर प्रतिवादीगण साफ साफ इन्कार हो गए। इसलिए वादीगण द्वारा अपने अधिकारो की रक्षार्थ हेतु प्रस्तुत वाद न्यायालय में पेश किया।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 16.01.2025 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0 / 25 / 1356 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को बहस पत्रावली पर सुना गया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके राजस्व ग्राम टीटनवाड तहसील गुढागौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1112 रकबा 1.98 है0 कृषि भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0 / 25 / 1356 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान

अमरसिंह बनाम ओमप्रकाश वगैरह

निर्णय दिनांक : 17.06.2025

मुकदमा नं. : 544 / 2024

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद सैनी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 17.06.2025 को सुप्रिया, सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके राजस्व ग्राम टीटनवाड तहसील गुढागौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1112 रकबा 1.98 है0 कृषि भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0 / 25 / 1356 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	2	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय	
		हुक्मनामा मुतफरिक	
योग	4	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)